पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सत्य नारायण प्रसाद गुप्ता उर्फ सातो साओ उर्फ सत्य प्रकाश प्रसाद

बनाम

बिजय कुमार गुप्ता एवं अन्य

2018 की विविध अपील संख्या 333

25 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री और माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, शेखपुरा द्वारा दिनांक 29.01.2018 को टाइटल सूट (दत्तक ग्रहण) संख्या 21/2009 में पारित निर्णय सही है या नहीं?
- क्या परिवार न्यायालय को यह घोषित करने के लिए किसी भी मुकदमे पर विचार करने का अधिकार है कि वादी भोला साव और पार्वती देवी का दत्तक पुत्र है और दत्तक पुत्र होने के कारण, वह उनका कानूनी उत्तराधिकारी है?

हेडनोट्स

पारिवार न्यायालय अधिनियम, 1984; धारा 7, 8, 20; विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963; धारा 34; दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश VII नियम 10, धारा 9; घोषणा वाद-न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों पर विचार करने का अधिकार है, सिवाय उन वादों के जिनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है; अपीलकर्ता अपने दत्तक माता-पिता का दत्तक पुत्र है और वह कानूनी उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि है।

निर्णय: कोई भी व्यक्ति जो किसी कानूनी चरित्र का, या किसी संपत्ति पर किसी अधिकार का हकदार है, ऐसे चरित्र या अधिकार पर उसके हक को अस्वीकार करने वाले, या अस्वीकार करने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रविष्ट कर सकता है, और न्यायालय अपने विवेकानुसार उसमें यह घोषणा कर सकता है कि वह ऐसा हकदार है, और वादी को ऐसे वाद में किसी और अनुतोष की मांग करने की आवश्यकता नहीं है; दत्तक ग्रहण के संबंध में घोषणात्मक

वाद सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है; परिवार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र धारा 7(1) के स्पष्टीकरण में उल्लिखित मामलों की विशिष्ट श्रेणियों तक सीमित है; दत्तक ग्रहण के संबंध में परिवार न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है; दत्तक ग्रहण के संबंध में घोषणात्मक या अन्यथा कोई भी वाद परिवार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है; अतः, विद्वान परिवार न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र के बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है; आक्षेपित निर्णय अमान्य और अस्थाई है; अतः, आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है; अपील का निर्देश के साथ निपटारा किया जाता है।

(पैराग्राफ 12, 15, 19, 29, 30)

न्याय दृष्टान्त

धुलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य, **(1968) 3 एससीआर 662;** रामचन्द्र दगडू सोनावने एवं अन्य, बनाम विथु हीरा महर एवं अन्य, **(2009) 10 एससीसी 273;** राजन समोत्रा एवं अन्य, बनाम वित्तीय आयुक्त एवं अन्य, **2017 एससीसी ऑनलाइन जेएंडके 534;** चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका बनाम जसजीत सिंह, **(1993) 2 एससीसी 507;** हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड, **(2005) 7 एससीसी 791;** हशम अब्बास सैय्यद बनाम उस्मान अब्बास सैय्यद और अन्य, **(2007) 2 एससीसी 355;** आई.सी.आई.सी.आई. बनाम शरद खन्ना, **1993 एमएच.एल.जे. 448;** पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984; विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963; सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

मुख्य शब्दों की सूची

दत्तक ग्रहण, दत्तक माता-पिता, कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, घोषणा, घोषणात्मक वाद।

प्रकरण से उत्पन्न

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, शेखपुरा द्वारा टाइटल सूट (दत्तक ग्रहण) संख्या 21/2009 में पारित दिनांक 29.01.2018 के निर्णय से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिएः कोई नहीं

उत्तरदाता की ओर से: श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता; श्री वीरेंद्र कुमार, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की विविध अपील सं . 333

==========

सत्य नारायण प्रसाद गुप्ता @सातो साओ @सत्य प्रकाश प्रसाद, स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद बेदिल के पुत्र और स्वर्गीय भोला साओ उर्फ भोला हलवाई के दत्तक पुत्र मोहल्ला- कामासी बाजार टोला आयुक्त, डाघर,थाना और जिला- शेखपुरा के निवासी, वर्तमान में मोहल्ला-चांदनी चौक, डाघर,थाना और जिला- शेखपुरा के निवासी हैं।

(विचारण न्यायलय में वादी)..... अपीलकर्ता

- बनाम -

1. बिजय कुमार गुप्ता, पिता-स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद बेदिल, मोहल्ला-कामासी बाजार के निवासी, टोला आयुक्त डाघर,थाना और जिला-शेखपुरा।

(क) माधुरी देवी, पति- किशोर कुमार गुप्ता, पिता- स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद बेदिल, मोहल्ला डेंगल पारा, डाघर, थाना और जिला दुमका की निवासी।

(ख) गीता देवी, पति-कन्हाई प्रसाद गुप्ता, पिता- स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद बेदिल, मोहल्ला कटरापार, बिहारशरीफ, जिला-नालंदा की निवासी ।

.....उत्तरदाता/प्रतिवादी (प्रथम पक्ष)

2. जय प्रकाश गुप्ता, पिता-स्वर्गीय रामचंद्र पी. डी. के बेदिल।

3. कौशल कुमार गुप्ता

4. कमलेश कुमार गुप्ता, जय प्रकाश गुप्ता के दोनों नाबालिग बेटे अपने प्राकृतिक पिता और मित्र जय प्रकाश गुप्ता के संरक्षण में थे।

मोहल्ला कामासी बाजार टोला आयुक्त डाघर और थाना जिला-शेखपुरा के सभी निवासी।

उत्तरदाता/प्रतिवादी (दूसरा पक्ष)

==========

उपस्थितिः

अपीलकर्ता/ओं के लिएः कोई नहीं।

उत्तरदाता सं.के लिएः श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता

श्री विरेंद्र कु मार, अधिवक्ता

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सी.ए.वी निर्णय

(प्रतिः माननीय श्री न्यायमूर्ति जितेंद्र कु मार)

तारीखः 25-08-2023

वर्तमान अपील प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.01.2018 के फैसले चुनौती देते हुए दायर की गई है। शेखपुरा न्यायालय ने 2009 के शीर्षक मुकदमा (दत्तक ग्रहण) संख्या 21 में, जिसके तहत विद्वान परिवार न्यायालय ने अपीलकर्ता/वादी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि अपीलकर्ता/वादी भोला साव और पार्वती देवी (दोनों मृतक) का दत्तक पुत्र है और अपीलकर्ता/वादी भोला साव और पार्वती देवी का कानूनी उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि है।

2.1 अभिवाक के अनुसार अपीलकर्ता/वादी का मामला यह है कि भोला साव उर्फ भोला हलवाई के पास शेखपुरा शहर में इमारत सहित कुछ भू-संपत्ति थी। उनकी शादी पार्वती देवी (अब मृत) से हुई थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने एक बेटे को गोद लेना उचित समझा, और तदनुसार, उनके बहनोई/रामचंद्र प्रसाद बेदिल और उनकी पत्नी साबो देवी (मृत) को प्रस्ताव रखा, जो वर्ष 1967 में अपने बेटे (अपीलकर्ता/वादी) सत्य नारायण प्रसाद गुप्ता@सातो साओ @सत्य प्रकाश प्रसाद को देने के लिए सहमत हो गए, जो दस साल का था। तदनुसार, 15.05.1967 पर, दोनों पक्षों यानी भोला साव और उनकी पत्नी पार्वती देवी और रामचंद्र प्रसाद बेदिल और उनकी पत्नी साबो देवी को इलाके के कुछ सम्मानित व्यक्तियों के साथ महारानी स्थान, बाईपास, शेखपुरा, डाघर और जिला-शेखपुरा में आमंत्रित किया गया था। पुरोहित, जय पंडित जी ने पवित्र अग्नि के सामने पूजा-पथ और हवन शुरू किया और रामचंद्र प्रसाद बेदिल और उनकी पत्नी साबो देवी ने भोला साओ और उनकी पत्नी पार्वती देवी के लिए वादी, जिन्होंने सम्मानित व्यक्तियों, आमंत्रित व्यक्तियों और गवाहों की उपस्थिति में अपीलकर्ता/वादी को अपने बेटे के रूप में स्वीकार कियाः (i) शेखपुर जिले के मोहल्ला बंगालीपर थाना - शेखपुरा के निवासी स्वर्गीय बिहारी लाल के पुत्र खादरान लाल। (ii) जगदीश प्रसाद, स्वर्गीय बाचू लाल के पुत्र, मोहल्ला-बैंगलिपर,थाना और जिला-शेखपुरा के निवासी। (iii) अनिरुद्ध सिंह, स्वर्गीय धनुषधारी सिंह के पुत्र, ग्राम-बारमापेर, डाघर-सरारी, थाना - सरारी, जिला-शेखपुरा के निवासी। (iv) दासो महतो, स्वर्गीय सौखी महतो के पुत्र, कामासी बाजार, पी. ओ.-शेखपुरा, थाना- शेखपुरा,जिला-शेखपुरा और कई अन्य व्यक्ति। इसके बाद भोला साव ने उपस्थित व्यक्तियों को प्रसाद के रूप में मिठाइयाँ वितरित कीं। तब से, स्वर्गीय भोला

साव और स्वर्गीय पार्वती देवी ने अपीलकर्ता/वादी के साथ रहना शुरू कर दिया और उन्हें अपने बेटे के रूप में प्यार और स्नेह दिया और अपीलकर्ता/वादी भी एक भक्त, अनुयायी, वफादार और अपने दत्तक माता-पिता के प्रति आज्ञाकारी बन गए।

2.2 यह भी दलील दी गई है कि भोला साव की मृत्यु वर्ष 2002 में हुई थी और उनका श्राद्ध अपीलकर्ता/वादी और उनके बेटे द्वारा किया गया था।यह भी दलील दी गई है कि चूंकि भोला साव की कोई संतान नहीं थी और अपीलकर्ता/वादी को उक्त भोला साव और पार्वती देवी द्वारा गोद लिया गया था, मृतक भोला साव की संपत्तियों पर रामचंद्र प्रसाद बेदिल लालची नजर थी। इसलिए, उन्होंने जानबूझकर अपीलकर्ता/वादी को गोद लेने के लिए दिया ताकि वह भोला साव की संपत्ति का दुरुपयोग करने में उनकी मदद कर सके , लेकिन चूंकि यह अपीलकर्ता/वादी अपने दत्तक पिता के प्रति बहुत वफादार है, इसलिए रामचंद्र प्रसाद बेदिल और अपीलकर्ता/वादी के बीच मतभेद पैदा हो गए। भोला साव की मृत्यु के बाद, रामचंद्र प्रसाद बेदिल और उनके बेटे जय प्रसाद गुप्ता ने पार्वती देवी को अपीलार्थी/वादी के खिलाफ उकसाया, जिससे दत्तक माँ और अपीलार्थी/वादी के बीच कु छ मतभेद हो गए।

2.3 यह भी दलील दी गई है कि भोला साव ने अपने जीवनकाल के दौरान दो दशमलव मापने वाली भूमि का एक टुकड़ा खरीदा, जिसका आधा हिस्सा अपनी पत्नी पार्वती देवी के नाम पर और आधा हिस्सा इस अपीलकर्ता/वादी के नाम पर था, जो कि मौजा- शेखपुरा, थाना संख्या 178, तौज़ी संख्या 887, खाता संख्या 174, प्लॉट संख्या 520 में दिनांकित 19.11.1982 पंजीकृत बिक्री-विलेखों के माध्यम से स्थित था।

2.4 बाद में, अपीलकर्ता/वादी के ध्यान में आया कि बिक्री विलेख में उक्त भूमि की खाता संख्याऔर सीमा का गलत उल्लेख किया गया था,इसलिए उसने विक्रेता से संपर्क किया जिसन 30.04.1983 पर एक सुधार विलेख निष्पादित किया और इसे उप-पंजीयक, शेखपुरा के समक्ष 03.05.1983 पर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया। लेकिन चूंकि पार्वती देवी के विलेख को ठीक नहीं किया गया है, अपीलार्थी/वादीने जबरन पार्वती देवी के भूमि पर कब्ज़ा किया और उसके बाद उसी पर एक दो मंजिला इमारत का निर्माण किया और वह आज तक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां रह रहा है।

2.5 यह भी अनुरोध किया गया है कि अपीलकर्ता/वादी के दत्तक पिता और माता, जो कामासी बाजार में पुराने पैतृक घर में रह रहे थे, लेकिन अपीलकर्ता/वादी ने उक्त घर में उसकी देखभाल की।

2.6 अपीलकर्ता/वादी की अनुपस्थिति और भोला साव की मृत्यु का लाभ उठाते हुए, अपीलकर्ता/वादी के प्राकृतिक पिता रामचंद्र प्रसाद बेदिल ने अपने बेटे जय प्रकाश गुप्ता के साथ मृतक पार्वती देवी के प्रति सहानुभूति और सेवा दिखाते हुए उक्त घर में प्रवेश किया और कु छ दिनों के बाद उन्होंने अपीलार्थी/वादी और उनके परिवार के सदस्यों के उक्त घर में प्रवेश को बाधित किया। हालांकि, अपीलकर्ता/वादी ने उपद्रव और मुकदमों से बचने के लिए चुप्पी साधे रखी।

2.7 यह भी दलील दी गई है कि वर्ष 2003 में जय प्रकाश गुप्ता और रामचंद्र प्रसाद बेदिल के उकसावे पर स्वर्गीय पार्वती देवी ने अपीलकर्ता/वादी के किरायेदारों के खिलाफ दो बेदखली के मुकदमे दायर किए थे। बेदखली मुकदमे में, स्वर्गीय पार्वती देवी के साथ-साथ रामचंद्र प्रसाद बेदिल ने प्रतिपरीक्षा के दौरान अपीलार्थी/वादी के कथनों को स्वीकार किया।यहभी दलील दी गई है कि भोलासाव ने किरायेदारों को गोद लेने और किराए की वसूली के संबंध में वादी के पक्ष में एक लिखित पत्र दिया था। इस तरह का पत्र, अभिवचन के अनुसार किरायेदार द्वारा बेदखली मुकदमे में पहले ही दायर किया जा चुका है।

2.8. आगे यह दलील दी जाती है कि उक्त पार्वती देवी, बुढ़ापे, बीमारी और मानसिक अस्वस्थता के कारण जय प्रकाश गुप्ता और उनकी पत्नी और बच्चों के साथ कामासी बाजार में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं।

2.9. यह भी दलील दी गई है कि जय प्रकाश गुप्ता ने स्वर्गीय पार्वती देवी की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उनके दो नाबालिग बेटों, कौशल कु मार गुप्ता और कमलेश कुमार गुप्ता के पक्ष में 22.05.2003 पर एक धोखाधड़ी वाली वसीयत का निष्पादन कराया।

2.10. यह भी अनुरोध किया जाता है कि उत्तरदाता/प्रतिवादी के उकसावे के तहत, पार्वती देवी ने वादी के किरायेदार के खिलाफ 2002 का दो बेदखली मुकदमा संख्या 3 और 4 2002 का दायर किया। इसके बाद, किरायेदारों ने 2007 की बेदखली अपील संख्या 2 और 3 2007 की दायर की जो विद्वान ए.डी.जे., एफ. टी. सी. IVth, शेखपुरा के समक्ष लंबित थी। अपीलों के लंबित रहने के दौरान, अधिकांश। पार्वती देवी की मृत्यु 19.03.2008 पर हुई और उनकी मृत्यु के बाद, अपीलकर्ता/वादी ने उनके स्थान पर प्रतिस्थापन के लिए याचिका दायर की और उत्तरदाता-द्वितीय पक्ष ने भी प्रतिस्थापन याचिका दायर की। तथापि, न्यायालय अपीलकर्ता/वादी को उपयुक्त न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश देने के लिए प्रसन्न था। और इसलिए, वर्तमान वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई।

2.11. यह भी दलील दी गई है कि वर्तमान मुकदमा दायर करने के का कारण पहली बार 15.05.1967 को उत्पन्न हुआ जब अपीलकर्ता/वादी को गोद लिया गया और फिर 2002 में जब भोला साओ की मृत्यु हो गई और फिर 22.05.2003 को जब पार्वती देवी द्वारा वसीयत को निष्पादित किया गया और फिर 19.03.2008 को जब पार्वती की मृत्यु हो गई और अंत में 30.03.2009 को जब विद्वान ए. डी. जे., एफ. टी. सी. IVth, शेखपुरा ने उसे गोद लेने या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के समर्थन में सक्षम न्यायलय से आदेश प्राप्त करने का निर्देश दिया।

3.1. नोटिस पर, के वल उत्तरदाता- सं. 2 जय प्रकाश गुप्ता, जो पारिवार न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 थे, उपस्थित हुए और अपना लिखित बयान दायर किया, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित प्रारंभिक आपत्तियां लीं:(i) कि जिस रूप में मुकदमा तैयार किया गया है वह बनाए रखने योग्य नहीं है।(ii) कि वादी के पास कार्रवाई का कोई कारण या मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। (iii) लिखित कथन में विशेष रूप से स्वीकार किए गए आरोपों को छोड़कर, वादपत्र में लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया जाता है। (iv) कि तत्काल मुकदमा विबंधन, छूट और मौन स्वीकृति के कानून द्वारा वर्जित है।(v)तत्काल मुकदमा विशिष्ट राहत अधिनियम द्वारा वर्जित है। (vi) कि तत्काल मुकदमा पक्षकारों के गलत और गैर-प्रतिवादी के लिए बुरा है।

3.2. उन्होंने इस दावे का भी खंडन किया है कि अपीलकर्ता/वादी को भोला साव और पार्वती देवी ने गोद लिया था। यह भी दावा किया जाता है कि भोला साओ उर्फ भोला हलवाई ने 08.04.2000 सत्य नारायण प्रसाद गुप्ता के बेटे नीरज कुमार और जय प्रकाश गुप्ता के बेटे कौशल कुमार गुप्ता उर्फ गोप पुत्र , जयप्रकाश गुप्ता के बेटे कमलेश कुमार गुप्ता उर्फ घोलू पुत्र के पक्ष में तीन पंजीकृत विलेख किए थे। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया है कि 2003 का बेदखली मुकदमा संख्या 3 और 2003 का बेदखली मुकदमा संख्या 4 मुंसिफ, शेखपुरा की न्यायलय में चल रहा है।

3.3. उत्तरदाता/प्रतिवादी द्वारा इस बात से भी इनकार किया गया है कि अपीलकर्ता/वादी कभी भोला साव और उसकी पत्नी पार्वती देवी के साथ रहा था और इस बात से भी इनकार किया गया है कि अपीलकर्ता/वादी ने अपनी मृत्यु के बाद भोला साव का श्राद्ध किया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 2008के परिवीक्षा मामला संख्या 3 में, अपीलकर्ता एक पक्ष बनना चाहता था, लेकिन न्यायलय ने इसकी अनुमति नहीं दी है।

4. पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए, नीचे दिए गए न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया है:

(i) क्या मुकदमा रखने योग्य है?

(ii) क्या वादी को कार्रवाई का वैध कारण मिला है या मुकदमा करने का अधिकार है?

(iii) क्या मुकदमा विशिष्ट राहत अधिनियम द्वारा वर्जित है?

(iv) क्या महाराणी स्थान पर 15.05.1967 को रामचंद्र प्रसाद बेदिल और उनकी पत्नी साबो देवी ने वादी को भोला साव और उनकी पत्नी पार्वती देवी को सौंप दिया, जिन्होंने गवाहों की उपस्थिति में उन्हें अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया?

(v) क्या वादी गोद लेने की तारीख से स्वाभाविक माता-पिता का घर और संपत्ति छोड़कर भोला साव और पार्वती देवी के साथ रहता था?

(vi) क्या वादी भोला साव और पार्वती देवी का कानूनी रूप से गोद लिया हुआ पुत्र है?

(vii) क्या वादी किसी अन्य राहत या राहत का हकदार है?

5. मुकदमे के दौरान, अपनी याचिका के समर्थन में, अपीलकर्ता/वादी ने निम्नलिखित पाँच गवाहों से पूछताछ की थीः-

(i) अ.सा.-1-सत्य नारायण प्रसाद गुप्ता @सातो साओ @सत्य प्रकाश प्रसाद (जो स्वयं वादी हैं), (ii) अ.सा.-2, सुरेश यादव, (iii) अ.सा.-3, गोर लाल यादव, (iv) अ.सा..-4, राम जतान पासवान, (v) अ.सा.-5, चंदेश्वर प्रसाद (vi) अ.सा.-6, नीरज प्रसाद गुप्ता।

6. उत्तरदाता संख्या 2, जो नीचे दिए गए न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 थे, ने निम्नलिखित तीन गवाहों से पूछताछ की थीः-

(i) व.सा.-1 जय प्रकाश गुप्ता (जो स्वयं प्रतिवादी संख्या 2 हैं), (ii) व.सा. - 2 शिव नंदन सिंह, (iii) व.सा.-3 फिरदोश खान।

7. अपीलकर्ता/वादी ने निम्नलिखित दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया हैः(I) प्रदर्श 1-आमंत्रण पत्र,(ii) प्रदर्श 2-2007 के एम. ई. ए. सं. 03/2003 के निष्कासन वाद सं. 03 में पार्वती देवी के बयान की प्रति,iii) प्रदर्श 3-2007 के एम.ई.ए. सं. 03 में फर्दबयान,(iv) प्रदर्श 4-विविध रूप में पारित किए गए दिनांक 06.05.2016 निर्णय की प्रति 2013 का मामला सं. 06 और 2013 का मामला सं. 07, (v) प्रदर्श-5,2000 के विलेख सं. 1948 की प्रति।

8. अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने और पक्षों की ओर से प्रस्तुत करने के बाद, विद्वान पारिवार न्यायालय ने अपीलकर्ता-वादी के खिलाफ सभी मुद्दों को देखते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया।

9. दिनांक 28.06.2023 के आदेश के माध्यम से, अपीलकर्ता के विद्वान वकील को निर्देश दिया गया था कि वे गोद लेने के मामले पर निर्णय लेने के संबंध में पारिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित इस न्यायालय को अवगत कराए। यह भी आगाह किया गया कि यदि अपीलार्थी की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो अपील का निर्णय इस संदर्भ में किया जाएगा कि पारिवार न्यायालय के पास गोद लेने के मामले पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है या नहीं। हालांकि, सुनवाई की अगली तारीख, यानी 13.07.2023 पर, अपीलकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, हालांकि प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील मौजूद थे, जिन्हें सुना गया था। उन्होंने विद्वान पारिवार न्यायालय द्वारा पारित विवादित फै सले का समर्थन किया। पारिवार न्यायालय। हालांकि,अदालत ने उनसे सवाल किया कि क्या गोद लेने के संबंध में घोषणा का मुकदमा परिवार न्यायालय या दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, वह यह नहीं बता सके कि कैसे पारिवारिक न्यायालय के पास यह तय करने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या वादी भोला साव और पार्वती देवी का दत्तक पुत्र था और गोद लिया हुआ पुत्र होने के कारण, वह उनका कानूनी उत्तराधिकारी है। जब न्यायालय द्वारा उन्हें प्रासंगिक कानूनों के बारे में बताया गया, तो वे कानून के आधार पर विपरीत विचार रखने में असमर्थ थे।

10. इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या पारिवारिक न्यायालय को यह घोषणा करने के लिए किसी भी मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है कि वादी भोला साव और पार्वती देवी का गोद लिया हुआ पुत्र है और गोद लिया हुआ पुत्र होने के कारण, वह उनका कानूनी उत्तराधिकारी है।यह आश्चर्य की बात है कि इस तरह का सवाल किसी भी पक्ष ने नहीं उठाया। यहां तक कि पारिवारिक न्यायालय भी इस तरह के सवाल को उठाने और मुकदमे को स्वीकार करने से पहले इस पर फैसला करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा। इस तरह का सवाल विशुद्ध रूप से कानून का सवाल है और इसे अदालत इसे स्वयं उठा सकती थी। इसके निष्कर्ष के मामले में कि इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो आदेश VII नियम 10 दीवानी प्रक्रिया संहिता वाद को वादी को वापस करने औरसक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती थी।

11. अब हम जांच करते हैं कि क्या 2018 का पारिवार न्यायालय के पास प्रस्तुत की गई शिकायत में निहित मामले पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। **दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 9** के अनुसार, न्यायालयके पास उन मुकदमों को छोड़कर दीवानी प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, जिनमें उनका संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित है। हालाँकि, दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के बहिष्करण को या तो स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना

चाहिए या तो स्पष्ट रूप से निहित होना चाहिए जैसा कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धुलाभाई बनाम मध्यप्रदेश राज्य** में **(1968) 3 एस.सी.आर. 662** में प्रतिवेदित किया गया है कि दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता सभी को शामिल करती है, सिवाय इसके कि इसे कानून के एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा या ऐसे कानून से उत्पन्न स्पष्ट इरादे से बाहर रखा गया है। दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के निष्कासन का अनुमान हल्के में नहीं लगाया जाना चाहिए और यह के वल तभी स्थापित किया जा सकता है जब कानून का कोई स्पष्ट प्रावधान हो या स्पष्ट रूप से निहित हो।

12. घोषणात्मक मुकदमा के तहत प्रदान किया गया है विनिर्दिष्ट **राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34** के अनुसार,किसी भी कानूनीचरित्र, या किसी भी संपत्ति के रूप में किसी भी अधिकार का हकदार व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है, जो इस तरह के चरित्र या अधिकार के लिए अपने अधिकार से इनकार कर रहा है, या इनकार करने में रुचि रखता है, और अदालत अपने विवेक से उसमें घोषणा कर सकती है कि वह इतना हकदार है, और वादी को ऐसे मुकदमे में राहत माँगने की आवश्यकता नहीं है।

13. **माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा कंठिका 41 में **रामचंद्र दगडू सोनावने और अन्य बनाम विट्ठू हीरा महर और अन्य** जैसा कि **(2009) 10 एस. सी. सी. 273** देखा गया कि वैध दत्तक ग्रहण है या नहीं, इस संबंध में, वह प्रश्न किसी व्यक्ति की स्थिति और कानूनी चरित्र से संबंधित है, जो विशिष्ट राहत अधिनियम,1963 की धारा 34 के दायरे में आता है और दीवानी अदालत के समक्ष घोषणा के लिए एक मुकदमा बनाए रखने योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि जब कोई व्यक्ति गोद लेने के आधार पर दावा करता है, तो इस तरह के गोद लेने का निर्णय कलेक्टर द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति/चरित्र शामिल है जो के वल दीवानी अदालत द्वारा तय किया जा सकता है।

14. **रामचंद्र डगडू सोनावाने** (उपरोक्त) मामले पर भरोसा करते हुए, **माननीय जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने** कंठिका 9 में **राजन समोत्रा और अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त और अन्य**,जैसा कि **2017 एस.सी.सी. ऑनलाइन जम्मू-कश्मीर 534** प्रतिवेदित किया गया कि गोद लेने की वैधता के संबंध में विवाद कोई विवाद नहीं है, जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र है। इस तरह का विवाद एक दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर एक मामला है। इसलिए, यह राजस्व न्यायालय के अनन्य अधिकार क्षेत्र में नहीं हो सकता की किसी व्यक्ति के कानूनी चरित्र का निर्धारण करें, चाहे वह गोद लिया हुआ पुत्र हो या नहीं।

15. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि गोद लेने के संबंध में घोषणात्मक मुकदमा दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, कभी-कभी, दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को विशेष प्रकृति के दीवानी मुकदमों के संबंध में विशेष कानूनों द्वारा बाधित किया जाता है, जो त्वरित निपटान या अन्यथा के उद्देश्य से उसी के निर्णय के लिए वैकल्पिक मंच प्रदान करते हैं। जब तक दीवानी न्यायालय की अधिकारिता ऐसे स्पष्ट विधानों द्वारा या आवश्यक निहितार्थ द्वारा वर्जित नहीं है, तब तक सिविल मामलों के संबंध में दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सवाल यह है कि क्या परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 द्वारा गोद लेने के संबंध में दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर रखा गया है, जिसे उसमें उल्लिखित मामलों के संबंध में अधिकार क्षेत्र वाले परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि गोद लेने के संबंध में अधिकार क्षेत्र परिवार न्यायालयों को प्रदान नहीं किया गया है, तो गोद लेने के मामलों के संबंध में दीवानी न्यायालयों की अधिकार क्षेत्र बाहर नहीं है।

16. इसलिए, यह देखने के लिए पारिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की जांच करना अनिवार्य है कि क्या पारिवार न्यायालयों को गोद लेने के जुड़े मामलों से निपटने का अधिकार क्षेत्र सौंपा गया है। परिवार न्यायालय अधिनियम,1984 की धारा 7 पारिवारिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, जो इस प्रकार हैः-

"7.**क्षेत्राधिकार:** —(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानोंके अधीन, एक परिवार न्यायालय -

(क) स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृ ति के मुकदमों और कार्यवाहियों के संबंध में तत्काल लागू किसी कानून के तहत किसी भी जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ दीवानी न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी अधिकारिता का प्रयोग करता है और करता रहेगा; और

(ख) ऐसी विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उस क्षेत्र के लिए ऐसा अधीनस्थ दीवानी न्यायालय माना जाएगा जिसके लिए पारिवार न्यायालय की अधिकारिताविस्तारित है।

स्पष्टीकरण:—

इस उप-धारा में निर्दिष्ट वाद और कार्यवाहियांनिम्नलिखित प्रकृति के वाद और कार्यवाहियां हैं, अर्थात्:—

(क) विवाह की निरस्तीकरण की डिक्री (विवाह को अमान्य घोषित करना या, जैसा भी मामला हो, विवाह को रद्द करना) या वैवाहिक अधिकारों की

बहाली या न्यायिक अलगाव या विवाह के विघटन के लिए विवाह के पक्षों के बीच एक मुकदमा या कार्यवाही;

(ख) विवाह की वैधता या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के बारे में घोषणा के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही;

(ग) पक्षकारों या उनमें से किसी एक की संपत्ति के संबंध में विवाह के पक्षकारों के बीच एक मुकदमा या कार्यवाही;

(घ) वैवाहिक सम्बन्ध उत्पन्न परिस्थिति में आदेश या निषेधाज्ञा की लिए मुकदमा या कार्यवाही;

(ङ) किसी भी व्यक्ति की वैधता के रूप में घोषणाके लिए एक मुकदमा या कार्यवाही;

(च) रखरखाव के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही;

(छ) व्यक्ति के संरक्षकता या किसी नाबालिग की अभिरक्षा या पहुँच के संबंध में एक मुकदमा या कार्यवाही।

(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक परिवारन्यायालय भी होगा और प्रयोग करेगा -

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX (पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश से संबंधित) के तहत प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता; और

(ख) ऐसी अन्य अधिकारिता जो किसी अन्य अधिनियम द्वारा उसे प्रदान की जाए।"

17. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 8 अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण और लंबित कार्यवाही से संबंधित है, जो इस प्रकार हैः-

"8. ***अधिकारिता और लंबित कार्यवाहियों का बहिष्करण*** —जहाँ किसी क्षेत्र के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है, -

(क) धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई जिला न्यायालय या कोई अधीनस्थ दीवानी न्यायालय, ऐसे क्षेत्र के संबंध में, उस उप-धारा के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसीवाद या प्रकृ ति की कार्यवाही के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं रखेगा या उसका प्रयोग नहीं करेगा;

(ख) ऐसे क्षेत्र के संबंध में किसी भी दण्डाधिकारी के पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX के तहत कोई अधिकार क्षेत्र या शक्तियां नहीं होंगी या उनका प्रयोग नहीं करेगा;

(ग) धारा 7 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रत्येक वाद या कार्यवाही और दंड संहिता के अध्याय IX के तहत प्रत्येक कार्यवाही दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2)-

(i) जो उस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष या, जैसा भी मामला हो, उक्त संहिता के तहत किसी दण्डाधिकारी के समक्ष ऐसे परिवार न्यायालय की स्थापना के तुरंत पहले लंबित है; और

(ii) जिसे ऐसे परिवार न्यायालय के समक्ष स्थापित या लिया जाना आवश्यक होता,यदि उस तारीख से पहले जिस दिन ऐसा मुकदमा या कार्यवाही शुरू की गई थी या की गई थी, यह अधिनियम लागू हो गया था और ऐसा परिवार न्यायालय स्थापित किया गया था, तो यह उस तारीख को ऐसे परिवार न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगा जिस दिन यह स्थापित किया गया था।"

18. **पारिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 20** प्रभावी प्रभाव प्रदान करता है जो निम्नानुसार हैः-

"20. प्रभावी प्रभाव रखने के लिए कार्य करें:—

इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी भी लिखित में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे।

19. यह **पारिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 20** से स्पष्ट है कि इस अधिनियम का प्रभाव अन्य सभी पिछले अधिनियमों पर हावी है। इस प्रकार, यह अन्य सभी पिछले अधिनियमों पर प्रबल होगा जिनमें असंगत प्रावधान हो सकते हैं। **1984 के अधिनियम की धारा- 7** के अनुसार,पारिवारिकन्यायालय का अधिकार क्षेत्र धारा 7(1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट मामलों की विशिष्ट श्रेणियों तक सीमित है।**1984 के धारा 7(2) (बी)** के अधिनियममें आगे यह स्पष्ट किया गया है कि कोई अन्य अधिकारिता के वल आगे के अधिनियम द्वारा पारिवार न्यायालय को प्रदान की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, परिवार न्यायालय को अन्य अधिकार क्षेत्र अधिनियम या स्पष्ट निहितार्थ या स्पष्ट निष्कर्ष के अलावा प्रदान नहीं किया जा सकता है। **1984 के अधिनियम की धारा 8 (ए)** आगे यह स्पष्ट करती है कि परिवार न्यायालय की अधिकारिता के विषय वस्तु के संबंध में दीवानी न्यायालयों या किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता वर्जित है।

20. अब 1984 के अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए पारिवार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हुए, यह स्पष्ट है कि गोद लेने के संबंध में परिवार न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। **1984 के अधिनियमकी धारा 7 (1) का स्पष्टीकरण** खंड (क) से (छ) तक के कोई भी खंड गोद लेने के संबंध में नहीं है। इस प्रकार, गोद लेने के संबंध में कोई घोषणात्मक या अन्यथा मुकदमा पारिवार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। खंड (ग) और (ङ) में दिए गए घोषणात्मक मुकदमे भी गोद लेने से संबंधित नहीं हैं। खंड (ख) के अनुसार, विवाह की वैधता या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के रूप में घोषणा के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही प्रदान की गई है और खंड (ई) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की वैधता के रूप में घोषणा के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही प्रदान की गई है। दोनों में से कोई भी मुकदमा गोद लेने से जुड़ा नहीं है। किसी भी व्यक्ति की वैधता खंड (ङ) में उपबंधित,विवाह से उत्पन्न होना चाहिए न कि गोद लेने या किसी अन्य चीज से क्योंकि परिवार न्यायालय अधिनियम का उद्देश्य विवाह और पारिवारिक मामलों के संबंध में परिवार न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान करना और उससे जुड़े मामलों के लिए परिवार न्यायालय को पारिवारिक मुकदमों के लिए एक स्थान मंच के रूप में स्थापित करना है। अन्य दीवानी मामलों का निर्णय दीवानी न्यायालयों के दायरे में आता है। इस प्रकार, पारिवारिक न्यायालयों के पास गोद लेने के किसी भी मामले में निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

21. इसलिए, परिवार न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र के बिना विवादित निर्णय पारित किया है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की घोषणाओं के अनुसार विवादित निर्णय अमान्य और गैर-कानूनी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय कंठिका 18 में **चिरंजीलाल श्रीलाल गोयनका बनाम जसजीत सिंह** मामलो में जैसा की **(1993) 2 एस.सी.सी. 507** में निर्दिष्ट ने स्पष्ट रूपसे कहा है कि यह स्थापित कानून है कि किसी न्यायालय द्वारा विषय-वस्तु पर या उस आधार पर अधिकारिता के बिना पारित एक डिक्री जो उसके अधिकार क्षेत्र के मूल तक जाती है या जिसमें अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का अभाव है, एक गैर-न्यायिक है। इस तरह की न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री अमान्य है और *गैर-वैध* है। इसकी अयोग्यता को स्थापित किया जा सकता है जब भी इसे लागू करने की मांग की जाती है या किसी अधिकार की नींव के रूप में कार्य किया जाता है, यहां तक कि निष्पादन के चरण में या संपार्श्विक कार्यवाही में भी। अधिकार क्षेत्र का दोष न्यायालय को डिक्री पारित करने का अधिकार जिसे पक्ष की सहमति या छूट से

ठीक नहीं किया जा सकता है।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय के कंठिका 30 में **हर्षद चिमन लाल मोदी बनाम डी.एल.एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड** मामलो जैसा की **(2005) 7 एस.सी.सी. 791** में प्रतिवेदित किया गया है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं (i) क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकार क्षेत्र; (ii) आर्थिक अधिकार क्षेत्र; और (iii) विषय-वस्तु पर अधिकार क्षेत्र। जहाँ तक क्षेत्रीय और आर्थिक क्षेत्राधिकारों का संबंध है, ऐसे
क्षेत्राधिकार पर आपत्ति को जल्द से जल्द संभव अवसर पर और किसी भी मामले में मुद्दों के निपटारे पर या उससे पहले लिया जाना चाहिए। कानून इस मुद्दे पर अच्छी तरह से तय है कि यदि इस तरह की आपत्ति को जल्द से जल्द नहीं लिया जाता है, तो इसे बाद के चरण में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालाँकि, विषय-वस्तु के रूप में अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से अलग है और एक अलग आधार पर खड़ा है। जहां कानून, चार्टर या आयोग द्वारा लगाई गई किसी सीमा के कारण मुकदमे के विषय-वस्तु पर किसी न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, वह कारण या मामले को नहीं ले सकता है। एक अदालत द्वारा पारित एक आदेश जिसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, एक अमान्य है।

23. **माननीय उच्चतम न्यायालय** ने कंठिका 24 में **हाशम अब्बास सैयद बनाम उस्मान अब्बास सैयद और अन्य**, जैसा कि **(2007) 2 एस.सी.सी. 355** में प्रतिवेदित किया गया है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के आलोक में एक न्यायालय द्वारा पारित डिक्री जिसके पास कोई क्षेत्रीय या आर्थिक अधिकार क्षेत्र नहीं है, और एक अदालत द्वारा पारित डिक्री जिसके विषय-वस्तु के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, के बीच अंतर किया जाना चाहिए। जबकि पूर्व मामले में, अपीलीय न्यायालय डिक्री में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि पूर्वाग्रह नहीं दिखाया जाता है, आम तौर पर मामलों की दूसरी श्रेणी में हस्तक्षेप किया जाएगा।

24. **माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय** ने कंठिका 20 में **आई.सी.आई.सी.आई बनाम शरद खन्ना**
जैसा कि **1993 एमएच.एलजे 448** में यह प्रतिवेदित किया गया है कि ऐसी स्थिति, जहां कोई कानून पूर्ण अधिकारिता वाले न्यायालय को कुछ करने या न करने के लिए अनिवार्य करता है, और न्यायालय जनादेश का उल्लंघन करता है, की तुलना ऐसी स्थिति से नहीं की जा सकती है

जहां न्यायालय के पास विवाद के विषय पर निर्णय लेने के लिए स्वाभाविक रूप से अधिकारिता का अभाव है या अपनी अधिकारिता की सीमाओं से बाहर काम करने वाले सीमित अधिकारिता वाले विशेष मंच के मामले के साथ। पहले का परिणाम एक गलत डिक्री में होता है; बाद वाला एक डिक्री में जो एक शून्यता है।

25. इसलिए, इस न्यायालय के पास **दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश** VII **नियम 10** के तहत विवादित फैसले को दरकिनार करने और शिकायत को वापस करने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है वादी इसे दीवानी न्यायालय अधिकार क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत करेगा। **दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश** VII **के नियम 10 (1)** के अनुसार, वाद को वाद के किसी भी चरण में वापस किया जा सकता है और अपीलीय/पुनरीक्षण अदालतें भी विवादित निर्णय/डिक्री को दरकिनार करने के बाद वाद को वापस करने में सक्षम हैं।

26. **दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश** VII **के नियम 10 (1)** इस प्रकार हैः-

> *"10. **शिकायत की वापसी**:- (1) नियम 10ए के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, वाद के किसी भी स्तर पर वाद को उस न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जाएगा जिसमें वाद स्थापित किया जाना चाहिए था।*
>
> ***स्पष्टीकरण:**- सन्देहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अपील या पुनरीक्षण न्यायालय किसी वाद में पारित डिक्री को दरकिनार करने के बाद, इस उप-नियम के तहत वाद को वापस करने का निर्देश दे सकता है।"*

27. **दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश** VII **के नियम 10 (ख)** के अनुसार, सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में शिकायत की इस तरह की वापसी की प्रस्तुति सीमा अधिनियम, 1963 प्रावधानों के अधीन है।

28. इसलिए, विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह शिकायत को दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपीलर्ता-वादी को वापस कर दे, जो सीमा कानून के अधीन हो।

29. तत्काल अपील का खारिज किया जाता है,तदनुसार, दोनों पक्ष अपना खर्च खुद उठाएंगे। तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

30. महापंजीयक को निर्देश दिया जाता है कि वे परिवार न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों सहित बिहार के सभी न्यायिक अधिकारियों के बीच फैसले की एक प्रति प्रसारित करें और आवश्यकता पड़ने पर इसकी एक प्रति बिहार न्यायिक अकादमी के निदेशक को भेजें।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

(पी.बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

एसके एम/चंदन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।